



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSHA 25, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

**का. आ. 231(अ)**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

**और**, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य 2.028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अब्दासा तालुका/तहसील में स्थित है;

**और**, भारतीय बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे घास मैदानों में रहने वाले एक बड़े पक्षी हैं। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (केबीएस) कच्छ जिले के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो 23° 12' उत्तरी अक्षांश और 68° 43' पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस क्षेत्र को कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के रूप में वन और पर्यावरण विभाग द्वारा गुजरात सरकार की अधिसूचना सं. जीवीएन-92-17-डब्ल्यूएलपी-1090-2027-वी-2 दिनांक 4 जुलाई 1992 को घोषित किया गया है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अब्दासा तालुका के जखाऊ एवं बुड़िया ग्रामों में स्थित 202.86 हेक्टेयर भूमि का एक छोटा भाग है। इस क्षेत्र में जखाऊ ग्राम की सर्वेक्षण संख्या 844, 1482, 1483, 1484 और 1485 और बुड़िया ग्राम की सर्वेक्षण संख्या 93,94,95,101 और 102 शामिल हैं। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य में जखाऊ एवं बुड़िया का भूमि

क्षेत्र लगभग 101.58 हेक्टेयर और 101.28 हेक्टेयर शामिल है। भारतीय बस्टर्ड, बस्टर्ड परिवार के सबसे खतरनाक जीव में से एक है। प्रजातियां भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I के अधीन सुरक्षित है। आईयूसीएन (रेड डाटा बुक) द्वारा भारतीय बस्टर्ड को गंभीर रूप से लुप्तप्राय वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह बहुत छोटी और जनसंख्या घट रही है। जीईईआर संस्थान (2003-2008) के द्वारा किए गए अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को प्रस्तावित किया गया है। यह विद्यमान आवास को संरक्षित करने और संरक्षण की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में घोषित करके, हम भारतीय बस्टर्ड को पारिस्थितिकी प्रणाली और इसके निवास स्थान की पुनःस्थापन कर सकते हैं;

**और**, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की गई महत्वपूर्ण प्रजातियां शिंक (ओफिसोप्स माइक्रोलिपीस), ट्रिंकेट साँप (कोलेग्राथस हेलेनस), भारतीय गिरगिट (चमेलेन ज़ेलेनिकस), साँ स्कैलड वाइपर (इचिस कैरिनैटस), ब्लैक हेडेड रॉयल साँप (स्पेलरियोसोफिस एटरीक्रेप्स), भारतीय स्टार कछुआ (जियोकेलोन एलिंगेंस), हार्डविकस जॉक (ब्रैचिसौरा माइनर), स्पिनी-पूछ छिपकली (सारा हार्डविकि), कॉमन इंडियन मॉनितर (वारानस बेंगलेंसिस), मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पैलस्ट्रिस), बेंडेड रॉक गिद्धो (साइरटोडैक्टाइलस कचेनसिस), चेकरड केवैक (एक्सनोचीरोफिस पिसकैटर), बफ्रस्ट्रिपिपेड केवैक (एस्फिस्मा स्टोलाटम), इंडियन सैण्ड बोआ (इरीक्सजोहनी), इंडियन भेड़िया साँप (लाइकोडोन ऑलिकस), रसेल वाइपर (द्वोइया रससेलि), सामान्य करैत (बेंगारस कैर्यूलेस), इंडियन फ्लैशशेल कछुआ (लिसेमीस पंक्टाटा), सामान्य बागीचा छिपकली (कैलोट्स वरसीकलर), फैन श्रोएटेड छिपकली (सीताना पॉटीसीरियाना), येल्लो-बेलीड हाउस गिद्धो (हेमिडेक्टीलस फ्लैविविरीडीस), रसेलस अर्थ बोआ (गोंगिलोफिस कोनीकस), भारतीय चूहा साँप (पीटास म्यूकोसा), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), आदि हैं।

**और**, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य से प्रमुख वनस्पतियां अबूटीलोन फ्रुटिकोसम गिल., अकाकिया विनोसा, अचिरिन्थेस एस्पेरा वार. पोर्फिरिस्टिकचाय एचके.एफ., एडानसोनिया डिजिताटा एल., अधाटोडा ज़ैलनिका (एल.) नीस, एग्ले मर्मेलोस (एल.) कोर एल्यूरोपस लैगोपोइडेस (एल.) ट्रिन. एक्स थव., एर्वा लनाला (एल.) जस., एलेनेथेरा सेसिलिस (एल.) डीसी., एमरांथस विरिडिस एल., एनेथम ग्रेवोलेंस एल., एंटीचारिस एसपी., एंटिगोनोन लेप्टोपस एचके. और एएम., अराचिस हाइपोगेई एल., अरौकैरिया स्या., एर्गोमोने मेक्सिकाना एल., आर्गिएरिया नर्वोसा (बर्म. एफ) बोज, अरिसिटिडा हॉस्ट्रिकुला एडग्यू., असपरागस रेसमोसस वाइल्ड. एस्पोडेलस टेन्यूफोलियस कैव., एस्ट्रोगलस प्रोलिक्स सिब., अजादिराचटा इंडिका ए. जॉस., बालनइट्स एर्जियसका (एल.) डेल., बौहिनीया रेसमो. ए लैम., बर्गिया अम्मानोइआइड रोकस्व., बम्बैक्स सीईवा एल., बोररिया आर्टिकुलारिस (एलएफ) एफ. एन. विल., ब्रैसिका कैम्पसलिस एल. वार सार्सन प्रेन, ब्रैसिका जूनसीए (एल.) कॉस, ब्रैसिका ओलेरेसा वार. कैपिताटा एल., ब्रैसिका स्या., ब्यूटिया मोनोस्पर्म (लैम.) कॉम्पेरेटम ओवलिफोलियम रोकस्व., कॉमेलीना एब्बेस्सेन्स हस्क., कॉन्वोल्बुलुस ऑरिकोम वार. ओरिकोमस भंडारी, क्रोटलैरिया ऑरिक्क्ससिस वाइल्ड., क्रोटोन बोनपलांडिनम वाइल्ड., साइकस स्या., साईमबोपोगोन सिट्राटस (डीसी.), साईमबोपोगोन मरटिनी (रोन्व.) वाट्स., दलेचमपिया स्कैनडेनस एल., धतूरा इन्नोक्सिया मिल., युफोर्बिया कैडकिफोलिया हैंस, फिमब्रिसलाइलिस स्या, फोइनिकलम बलगेरे मिल., फुमेरिया इंडिका (हौसक.) पुगस्ले, गार्डेनिया जैसमिनोइडेस जे. एलिस, इंडिगोफेरा लिन्नोइ अली, इंडिगोफेरा ओबलॉगिफोलिया फोर्सक., इपोमौआ एक्वाटिका फोर्सक., इपोमौआ पेस-कैपरौ (एल.) स्व., इपोमौआ पेस-टिगरिडिस एल., लेगेनिरिया ब्लाारीस वार. अमरा, लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपेरिसिकम (एल.) कस्ट., मायरुआ ओबोनिफोलिया (फोर्सक) ए. रिच., मँगीफेरा इंडिका एल., मिराबिलीस जलाप एल., मॉलोगो नुडिकालिस लाम., मोमोर्डिका चारान्तिया एल, मोमोर्डिका डाइआइका रोकस्व., ओल्डेंलैंडिया कोरीमबोसा एल., पावोनिया ज़ियालनिका केव., पेडेलियम मरेक्स एल., पेल्टोफोरुनी पटरोकारपम (डीसी.) बैक्रेक्स हेन, प्रेमना एलिनांटीओलिओ एल., प्रेमना रिजाइनो चौ, रिंचोसीया मिनिमा वार. मिनिमा (एल.) डीसी., रिसीनस कौमुनिस एल. टेवेनिएरा क्यूनिफोलिया (रोथ.), टेक्टोना ग्रैंडिस एल.एफ., टाईफा एंग्टाटा बोरि और चाब, उर्गिनिया इंडिका एल., जिन्निआ एलिजिन्स विल रोजर्स, ज़िज़ीफस मॉरीतियन लाम, आदि अभिलिखित हैं।

**और**, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां कनवल्वुलस स्टॉकसी बोइस, हेलिन्सिसम कटचिकम, हेलियोट्रोपियम बेसीफेरम फोर्सक, सारा हार्डविकि, वेनेलस ग्रेगरीयस, हेमीचिनस कॉलारिस, कॉमिफोरा विटटी (एम. भंडारी), हेलियोट्रोपियम रारिफ्लोरम स्टॉक्स, पैवोनिया सीराटोकार्पा मस्ट, सिडा तिग्गी भंडारी, आर्डेओटिस निग्राइसप्स, सिपियोटिड्स इंडिका, फेलिस सिल्वेस्ट्रीस, गज़ेले बेंनेटी आदि हैं।

**और**, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

**अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 36.70 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर 0 किलोमीटर से 36.70 किलोमीटर तक है और क्षेत्रफल 219.78 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I क-ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) भू-निर्देशांकों, भूमि उपयोग पैटर्न, उपग्रह चित्र और मानचित्र अवस्थान के साथ

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध II क-

ग के रूप में उपाबद्ध है।

(4) कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क एवं ख के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध -IV** में दी गई है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ग्राम मुख्यतः कम जनसंख्या वाले हैं। कृषि, पशुपालन, खेतों में दिहाड़ी मजदूरी, नमक उद्योग और खनन में मजदूरी चारकोल का निर्माण, हस्तशिल्प आदि इनके रोजगार के मुख्य स्रोत हैं। सभी ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, बिजली, पेयजल, मोटर सड़कें आदि हैं। लोगों को वहाँ पर कार्य करने के लिए अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। लगभग सभी ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए लोगों को तालुका जिला स्तर तक जाना पड़ता है। कृषि, पशुपालन, खेतों में दिहाड़ी मजदूरी, नमक उद्योग और खनन में मजदूरी, चारकोल का निर्माण, हस्तशिल्प आदि इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना --**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- i. पर्यावरण ;
- ii. वन और वन्यजीव ;
- iii. कृषि;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;
- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका;
- x. पंचायती राज;
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में पारिस्थितिक अनुकूल विकास को विनियमित करेगी।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

**(1) भू-उपयोग.-**

(क) (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

**(2) प्राकृतिक जल स्रोत -** सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

### **(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन -**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

**(4) प्राकृतिक विरासत -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

**(5) मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

**(6) ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

**(7) वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

**(8) बहिष्काव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के अनुसार किया जाएगा।

**(9) ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट:-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात:-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

**सारणी**

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	वृहद जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-पवन चक्की का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के

	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं, जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाना और तार-बिछाना एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार



		उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	सरकार द्वारा बंजर भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	वायु और वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पवन चक्की के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग करना।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	सौर ऊर्जा।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

41.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. निगरानी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

1. कलेक्टर, कच्छ-भुज - अध्यक्ष
2. परिस्थितिकी विशेषज्ञ/वैज्ञानिक, गुजरात मरुभूमि पारिस्थितिकी संस्थान, भुज -सदस्य
3. पंचायत का अधिकारी:  
संबंधित खंड के खंड विकास अधिकारी - सदस्य
4. राजस्व विभाग का अधिकारी:  
संबंधित खंड का मामलादर -सदस्य
5. भूविज्ञान विभाग का अधिकारी:  
भूविज्ञानी, भुज - सदस्य
6. सहायक वन संरक्षक, कच्छ, पश्चिमी संभाग, भुज -सदस्य
7. संबंधित रेंज के रेंज वन अधिकारी -सदस्य
8. उप वन संरक्षक, कच्छ, पश्चिमी संभाग, भुज - सदस्य-सचिव।

## 6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किये जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/43/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध | क-ख****क. कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार**

विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार (किलोमीटर)	उत्तर	0.0 किलोमीटर
	उत्तर-पूर्व	31.30 किलोमीटर
	पूर्व	36.70 किलोमीटर
	दक्षिण-पूर्व	34.00 किलोमीटर
	दक्षिण	5.70 किलोमीटर
	दक्षिण-पश्चिम	1.90 किलोमीटर
	पश्चिम	0.0
	उत्तर-पश्चिम	0.0 किलोमीटर

जखाऊ ग्राम में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दूरी अभयारण्य की सीमा से 'शून्य' मीटर रखी गयी है, क्योंकि इस पर 02-05-2016 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति में चर्चा करके निर्णय लिया गया था।

**ख. कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	नलिया, छदुरा, अशापार, गुडदर, सुखपार बारा, तेरा ग्राम सीमा।
उत्तर-पूर्व	नलिया, धुफी मोती, धुफी नानी ग्राम सीमा।
पूर्व	बेराचिया, मोथला, नुन्दहतद, हल्पाल ग्राम सीमा।
दक्षिण-पूर्व	हलापार, विंजन ग्राम सीमा।
दक्षिण	विंजन, नोगोर, भाचुंडा, सन्धाव, कोठरा, भानादा, वादापाधार, प्रजू, सिंधोदी मोती, वरूनोरी बहिया ग्राम सीमा।
दक्षिण-पश्चिम	अरब सागर।

पश्चिम	जखाऊ ग्राम सीमा
उत्तर-पश्चिम	जखाऊ ग्राम सीमा

### **अनुसूची "क":**

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं 2 खण्डों में विभाजित हैं, **खण्ड -1** और **खण्ड-2**।

**खण्ड -1** में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जसपर ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या -77 की बाहरी सीमा से अक्षांश-देशांतर उ 23-14-32.57 और पू 68-47-29.12 "इंवर्टेड वी आकार" बिंदु से आरंभ होती है और लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 0.9 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 85 और 86 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु के अंत में यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से जसपर ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 59 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। बाद में यह लगभग 2.97 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 149 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती प्रजू ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 550 की बाहरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है अक्षांश-देशांतर उ 23-11-23.91 और पू 68-49-43.47 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से वदापादार ग्राम की वन सर्वेक्षण संख्या 304 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 304 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-11-14.06 और पू 68-52-27.93 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 304 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है। बाद में यह लगभग 0.66 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती प्रजू ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 550 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 3.13 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 550 पश्चिम दिशा के साथ जाती है। इस बिंदु में यह लगभग 5.44 किलोमीटर की दूरी से विंगावेर और लाला ग्रामों की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 34,35 और 36 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 37, 38 और 47 के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.48 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 50, 49 और 48 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-07-46.88 और पू 68-44-49.16 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 3.63 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती रनपुर ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54 के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 112, 111, 110 और 108 के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह सड़क को पार करके उत्तर पूर्व दिशा में जाकर और लगभग 1.48 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 57/1, 62, 63/1, 105, 106 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 0.82 किलोमीटर की दूरी से बूदिया ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 106, 105, 104, 65 और 58 के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 101, 1482 और 844 के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.22 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 844, 1484 और 1485 पूर्व दिशा के साथ जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 17, 86, 85, 84, 21 और 22 से होते हुए, वन सर्वेक्षण संख्या 89, 88, की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 16, 19, 20/1, 20/2, 25 से होते हुए बूदिया ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 22, 23, 24, 25, 15 के साथ दक्षिण पूर्व में जाती है इसके बाद सड़क को पार करके और लगभग 2.99 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 25, 26, 27, 213, 212, और 214 के साथ जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.98 किलोमीटर की दूरी से कुकदौ ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 143, 175, 138, 139/2, 139/1 और 141 के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 81, 73, 142, और 162/1 के साथ पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 162/1, 4, 5/3, 5/2, 6 और 8 के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 8, 12/2, 12/3, 14/1, 13, 15 16, 19, 30, 32/1, 36, और 51 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 68 से होते हुए कुकदौ ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 51, 52, 56/1, 57, 68/2, 68, 169 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है इसके बाद सड़क पार करके और लगभग 1.32 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 71 की बाहरी सीमा चिह्नित करती है। इसके

बाद कृषि सर्वेक्षण संख्या 37/1, 75, 51, के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है, लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से जसपर ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या 77 से होते हुए सड़क को पार करती है और खण्ड -1 के आरंभ बिंदु को छूती है।

**खण्ड -2 में, जो खण्ड -1 के उत्तर-पूर्व कोण से आरंभ होकर,** यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 173 के निकट सुदाधारो नानी ग्राम सीमा के कोण बिंदु से आरंभ होकर और लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से उत्तर दिशा में नालिया और सुदाधारो ग्राम सीमा के बीच से होते हुए जाती है। इसके बाद इस बिंदु से यह नालिया और सुदाधारो नानी के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाकर और लगभग 3.30 किलोमीटर की दूरी से अक्षांश-देशांतर उ 23-16-43 .75, पू 68-50-59.36 के आशापार, सुदाधारो नानी और सुदाधारोमोती के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.70 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती और छदोरा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इसके बाद यह सुदाधारोमोती और कुरथर के बीच ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर, सुदाधारोमोती और सुखपर बारा की ओर जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.63 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती और तेरा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा जाती है। इसके बाद यह कला तलव और तेरा के बीच ग्राम सीमा के साथ लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से कला तलव और तेरा के बीच सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.98 किलोमीटर की दूरी से कला तलव, तेरी और कोनाथिया के बीच सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से कोनाथिया, धुफी नानी और तेरा ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी और तेरा के बीच सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.40 किलोमीटर की दूरी से तेरा, धुफी नानी और धुफी मोती के ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-16-25.36 और पू 69-00-14.63 में समाप्त होती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 298, 287, 421/2, की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है, इसके बाद सड़क को पार करके, कृषि सर्वेक्षण संख्या 25/पीटी, 51, 63 के बाद, लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से 294 से सड़क को पार करती है। इसके बाद यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 293, 365/1 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, इसके बाद लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से सड़क को पार करती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 286, 287, 359, 350, 349, 338 के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 98 के उत्तर पूर्व कोण में समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 0.99 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी और बिट्टा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह बिट्टा और धुफी नानी के बीच सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 1.32 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी, बिट्टा और बितियारी ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह बिट्टा, वैचुन्दा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और लगभग 2.90 किलोमीटर की दूरी से बिट्टा, बितियारी और रवा ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से रवा और बिट्टा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह बिट्टा और रवा के बीच ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर और बिट्टा, रवा, बवनीपार और बेराचिया के जंक्शन को पार करके समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 1.70 किलोमीटर की दूरी से रवा और बेराचिया के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.65 की दूरी से रवा और बेराचिया के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी से रवा और मोथाला की ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-11-34.52 और पू 69-04-15.92 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह रवा और मोथाला के बीच सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में गधवालावडा और नुंधतड के बीच सीमा के बाद जाती है और लगभग 4.2 किलोमीटर की दूरी से गधवालावडा, नुंधतड, हजापार और मियानी चार ग्रामों के जंक्शन को पार करके समाप्त होती है। इस बिंदु से यह गधवालावडा और हजापार की सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से गधवालावडा, हजापार और धनवारा वडा के त्रि-जंक्शन बिंदु पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह हजापार और धनवारा वडा की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा, हजापार और विंझन के त्रि-जंक्शन बिंदु पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा और विंझन की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-07-26.90 पू 69-01-40.01 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह विंझन और धनवारा वडा की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा, गधवाला वडा और विंझन के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह गधवालावडा और विंझन ग्राम सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से विंझन, गधवालावडा और संधव के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से संधव और गधवालावडा की ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से संधव और गधवालावडा की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से संधव, गधवालावडा और नगोर की सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है।

है। इसके बाद यह गधवालावडा और नगोर की ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाकर और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से नगोर, गधवालावडा और बितियारी के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह बितियारी और नगोर ग्राम सीमाओं के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से बितियारी, नगोर और संधव ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 4.12 किलोमीटर की दूरी से संधव, बांचुडा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से बितियारी और बांचुडा के बीच सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद यह बांचुडा ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 345, 41, 40, 37, 36, 414, 34, 18, 291/2, 290/1 और वन सर्वेक्षण संख्या 357 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी से अक्षांश-देशांतर उ 23-13-25-68 और पू 68-58-38.04 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह बांचुडा और कुनातिया की ग्राम सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 3.46 किलोमीटर की दूरी से बांचुडा, कुनातिया और कला तलव के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह कला तलव और बांचुडा के बीच सीमा, इसके बाद खीरासारा और बांचुडा के बीच सीमा, इसके बाद खीरीसारा और संधव के बीच सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाकर और लगभग 6.6 किलोमीटर की दूरी से खीरीसारा, संधव और कोथारा के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से खीरीसारा और खोतारा के बीच ग्राम के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-09-13.72 और पू 68-56-00.38 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी से कोथारा-खीरीसारा के बीच ग्राम सीमा, इसके बाद भांडा और खीरीसारा के बीच सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इसके बाद यह वन सर्वेक्षण संख्या 387, 380 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है, इसके बाद लगभग 3.50 किलोमीटर की दूरी से भांडा ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या 80, सड़क को पार करके वन सर्वेक्षण संख्या 379, सड़क को पार करके वन सर्वेक्षण संख्या 377, 347 और सड़क को पार करके कृषि सर्वेक्षण संख्या 89, सड़क को पार करके कृषि सर्वेक्षण संख्या 100, वन सर्वेक्षण संख्या 346, 345, वन सर्वेक्षण संख्या 341 और कृषि सर्वेक्षण संख्या 18 सड़क को पार करती है। इसके बाद यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 22, 23, 24/2, 24/1 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर दिशा में सड़क को पार करके 328 और लगभग 3.50 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती की सीमा पर समाप्त होकर खण्ड -2 के आरंभिक बिंदु को छूती है।


### **अनुसूची "ख":**

#### **सीमा दिशाएं:**

उत्तर:	जखाऊ, नलिया, छदुरा, अशापार, गुड्डर, सुखपार बारा, तेरा, धुफीमोटी, धुफनीनी और बिट्टा की ग्राम सीमाएं।
पूर्व:	भवानीपार, बेराचिया, मोथला, नंदहत की ग्राम सीमाएं।
दक्षिण:	मियानी, हजापार, विंजान, नागौर, भचुंडा, संधव, कोठरा, भानादा, वादापाधार, प्रजू, सिंधोदीमोटी और वरूनोरी बूदिया की ग्राम सीमाएं।
पश्चिम:	जखाऊ और आसपास के समुद्र तट की ग्राम सीमाएं।


**उपाबंध II-क**

**भू-निर्देशांकों और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**






कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र का उपग्रह चित्र





कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थिति मानचित्र



**उपाबंध-II****कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की सीमा के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर**

<b>सारणी क: संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक (संलग्न उपाबंध- II क के अनुसार)</b>				
क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशाएं	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	19	-	23°10'46.400"उ	68°43'52.270"पू
2	20	-	23°11'23.230"उ	68°43'50.770"पू
3	21	-	23°11'2.450"उ	68°44'27.200"पू
<b>सारणी ख: संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक (संलग्न उपाबंध- II क के अनुसार)</b>				
क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशाएं	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	1	-	23°14' 32.575" उ	68° 47' 59.120" पू
2	2	-	23°13' 57.717" उ	68°48' 19.199" पू
3	3	-	23°14' 13.235" उ	68° 48' 46.659" पू
4	4	-	23°12' 58.067" उ	68° 49' 13.527" पू
5	5	-	23°11' 23.907" उ	68° 49' 43.469" पू
6	6	-	23°11' 21.717" उ	68° 50' 41.689" पू
7	7	-	23°12' 33.907" उ	68°51' 48.637" पू
8	8	-	23°11' 14.061" उ	68°52' 27.929" पू
9	9	-	23°11' 12.502" उ	68°50' 46.185" पू
10	10	-	23°10' 51.514" उ	68° 50' 46.536" पू
11	11	-	23°10' 51.183" उ	68°48' 54.077" पू
12	12	-	23°10' 7.622" उ	68°45' 45.900" पू
13	13	-	23°9' 14.123" उ	68°45' 57.764" पू
14	14	-	23°8' 35.146" उ	68°44' 50.092" पू
15	15	-	23°7' 46.884" उ	68°44' 49.158" पू
16	16	-	23°9' 36.373" उ	68° 43' 55.796" पू
17	17	-	23°10' 4.586" उ	68°42' 56.636" पू
18	18	-	23°10' 42.160" उ	68°43' 24.686" पू
19	19	-	23°10' 26.381" उ	68°43' 52.566" पू
20	20	-	23°11' 22.529" उ	68°43' 50.777" पू
21	21	-	23°11' 0.510" उ	68°44' 28.219" पू
22	22	-	23°11' 21.957" उ	68°45' 7.146" पू
23	23	-	23°11' 15.233" उ	68°45' 33.866" पू
24	24	-	23°11' 44.974" उ	68°45' 53.938" पू
25	25	-	23°12' 46.361" उ	68°45' 39.926" पू
26	26	-	23°12' 35.607" उ	68°45' 15.171" पू
27	27	-	23°13' 3.142" उ	68°44' 58.703" पू

28	28	-	23°13' 46.909" उ	68°45' 59.551" पू
29	29	-	23°14' 5.618" उ	68°46' 39.451" पू
30	30	-	23°12' 59.452" उ	68°51' 48.338" पू
31	31	-	23°14' 16.412" उ	68°51' 25.943" पू
32	32	-	23°15' 54.597" उ	68°51' 9.954" पू
33	33	-	23°16' 43.753" उ	68°50' 59.362" पू
34	34	-	23°17' 1.411" उ	68°52' 51.153" पू
35	35	-	23°17' 1.595" उ	68°54' 25.939" पू
36	36	-	23°15' 6.012" उ	68°54' 56.130" पू
37	37	-	23°15' 15.483" उ	68°56' 0.000" पू
38	38	-	23°14' 15.876" उ	68°56' 40.212" पू
39	39	-	23°14' 55.135" उ	68° 57' 39.503" पू
40	40	-	23°15' 30.662" उ	68°58' 39.209" पू
41	41	-	23°16' 40.153" उ	68°58' 20.771" पू
42	42	-	23°16' 25.361" उ	69° 0' 14.635" पू
43	43	-	23°15' 40.244" उ	69°0' 25.889" पू
44	44	-	23°15' 1.087" उ	68°59' 40.684" पू
45	45	-	23°14' 44.027" उ	69°1' 4.332" पू
46	46	-	23°14' 13.645" उ	69°1' 13.716" पू
47	47	-	23°14' 6.881" उ	69°0' 35.490" पू
48	48	-	23°12' 54.832" उ	69° 1' 29.697" पू
49	49	-	23°14' 22.508" उ	69°1' 56.736" पू
50	50	-	23°14' 19.582" उ	69°2' 30.449" पू
51	51	-	23°13' 30.690" उ	69°2' 46.492" पू
52	52	-	23°12' 31.931" उ	69°2' 53.259" पू
53	53	-	23°11' 34.517" उ	69°4' 15.919" पू
54	54	-	23°9' 20.545" उ	69°3' 38.310" पू
55	55	-	23°9' 15.702" उ	69°2' 47.104" पू
56	56	-	23°7' 58.812" उ	69°2' 36.654" पू
57	57	-	23°7' 26.897" उ	69°1' 40.006" पू
58	58	-	23°8' 12.395" उ	69°0' 45.001" पू
59	59	-	23°8' 29.851" उ	68°58' 54.151" पू
60	60	-	23°8' 57.782" उ	69°0' 1.525" पू
61	61	-	23°9' 20.518" उ	68°59' 41.047" पू
62	62	-	23°9' 59.707" उ	69°0' 31.383" पू
63	63	-	23°10' 59.189" उ	69° 0' 28.130" पू
64	64	-	23°10' 17.924" उ	68°59' 20.157" पू
65	65	-	23°11' 58.141" उ	69° 0' 44.911" पू
66	66	-	23°13' 8.812" उ	69° 0' 28.519" पू

67	67	-	23°13' 25.680" उ	68°58' 38.944" पू
68	68	-	23°13' 15.870" उ	68°56' 37.927" पू
69	69	-	23°9' 44.471" उ	68°57' 21.467" पू
70	70	-	23°9' 13.725" उ	68°56' 0.376" पू
71	71	-	23°12' 9.237" उ	68°55' 52.152" पू
72	72	-	23°12' 1.851" उ	68°53' 16.086" पू
73	73	-	23°13' 22.128" उ	68°53' 8.478" पू

**उपाबंध-IV**

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और भू-निर्देशांक

क्र.सं.	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	वन क्षेत्र हेक्टेयर	गैर वन क्षेत्र हेक्टेयर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र हेक्टेयर
1	भाचुंडा	अवदासा	कच्छ	20.000	373.000	393.000
2	भानादा	अवदासा	कच्छ	956.278	0.000	956.278
3	बितीयारी	अवदासा	कच्छ	0.000	933.740	933.740
4	बूदिया	अवदासा	कच्छ	184.160	417.479	601.639
5	धनवाडा	अवदासा	कच्छ	0.000	1399.089	1399.089
6	धुफी नानी	अवदासा	कच्छ	270.000	0.000	270.000
7	हमीरपार	अवदासा	कच्छ	0.000	636.693	636.693
8	गाधवाडा	अवदासा	कच्छ	310.340	1140.149	1450.489
9	जसपार	अवदासा	कच्छ	0.000	746.953	746.953
10	कलातालव	अवदासा	कच्छ	0.000	1146.046	1146.046
11	खिरासारा(खोथारा)	अवदासा	कच्छ	0.000	1414.670	1414.670
12	कुकदाव	अवदासा	कच्छ	0.000	932.492	932.492
13	कोनथिया	अवदासा	कच्छ	236.890	781.729	1018.619
14	लाला	अवदासा	कच्छ	0.000	1029.823	1029.823
15	प्रजू	अवदासा	कच्छ	211.840	0.000	211.840
16	रावा	अवदासा	कच्छ	0.000	1974.067	1974.067
17	सुदधरो मोती	अवदासा	कच्छ	18.820	2978.551	2997.371
18	सुदधरो नानी	अवदासा	कच्छ	0.000	806.846	806.846
19	वादापाधार	अवदासा	कच्छ	666.320	0.000	666.320
20	विगावेर	अवदासा	कच्छ	340.340	1262.663	1603.003
21	रनपार	अवदासा	कच्छ	674.640	113.360	788.000
<b>कुल क्षेत्र हेक्टेयर में</b>				<b>3889.627</b>	<b>18087.350</b>	<b>21976.977</b>

**उपाबंध-IV****पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15<sup>th</sup> January, 2018

**S.O. 231(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in).

**Draft Notification**

**WHEREAS,** The Kachchh Bustard Sanctuary is spread over an area of **2.028 square kilometers** and is situated in Abdasa Taluka/ Tehsil of Kachchh district in the state of Gujarat.

**AND WHEREAS,** The Indian Bustard is a large handsome bird inhabiting short grass plains of the Indian subcontinent. The Kachchh Bustard Sanctuary (KBS) is situated in North-eastern region of Kachchh District, which is located at 23° 12' North latitude and 68° 43' East longitude. The area is declared as Kachchh Bustard Sanctuary vide Government of Gujarat's notification no. GVN-92-17-WLP-1090-2027-V-2 dated 4<sup>th</sup> July 1992 of Forest & Environment Department. It is a small patch of land admeasuring 202.86 hectare situated in Jakhau & Budiya villages of Abdasa Taluka of Kachchh District in Gujarat State. The area comprises survey nos. 844, 1482, 1483, 1484 and 1485 of Jakhau village and survey nos. 93, 94, 95, 101 and 102 of Budiya village. The land area of Jakhau and Budiya included in the Kachchh Bustard

Sanctuary is 101.58 hectare and 101.28 hectare respectively. The Indian Bustard is one of the most endangered members of the Bustard Family. The species is protected under Schedule-I of the Indian Wildlife (Protection) Act, 1972. Indian Bustard is categorized by IUCN (Red Data Book) as a critically endangered because of its very small and declining population. The Eco-sensitive zone has been proposed on the basis of recommendations in the study report done by GEER Foundation (2003-2008). It will ultimately help preserving the existing habitat and improve the condition for conservation. By declaring this area as an eco-sensitive zone, we can restore the eco-system of Indian Bustard and its habitat.

**AND WHEREAS**, important faunal species reported from the Kachchh Bustard Sanctuary are Shink (*Ophisops microlepis*), Trinket Snake (*Coelognathus helenus*), Indian Chameleon (*Chamaeleon zeylanicus*), Saw scaled viper (*Echis carinatus*), Black headed royal Snake (*Spalerosophis atriceps*), Indian Star Tortoise (*Geochelone elegans*), Hardwicke's Bloodsucker (*Brachysaura minor*), Spiny-tailed Lizard (*Sara hardwickii*), Common Indian Monitor (*Varanus bengalensis*), Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*), Banded Rock Gecko (*Cyrtodactylus kachchensis*), Checkered Keelback (*Xenochirophis piscator*), Buffstriped Keelback (*Amphiesma stolatum*), Indian Sand Boa (*Eryxjohnii*), Indian Wolf Snake (*Lycodon aulicus*), Russel's Viper (*Daboia russelii*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Indian Flapshell Turtle (*Lissemys punctata*), Common Garden Lizard (*Calotes versicolor*), Fan Throated Lizard (*Sitana ponticeriana*), Yellow-Bellied House Gecko (*Hemidactylus flaviviridis*), Russell's Earth Boa (*Gongylophis conicus*), Indian Rat Snake (*Ptyas mucosa*), Indian Cobra (*Naja naja*) etc.

**AND WHEREAS**, the major flora recorded from the Kachchh Bustard Sanctuary are *Abutilon fruticosum* Guill., *Acacia binosa*, *Achyranthes aspera* Var. *porphyristachya* Hk.f., *Adansonia digitata* L., *Adhatoda zeylanica* (L.) Nees, *Aegle marmelos* (L.) Corr *Aeluropus lagopoides* (L.) Trin. Ex Thw., *Aerva lanala* (L.) Juss., *Allernanthera sessilis* (L.) DC., *Amaranthus viridis* L., *Anethum graveolens* L., *Anticharis* sp., *Antigonon leptopus* Hk. & Am., *Arachis hypogaea* L., *Araucaria* sp., *Argemone mexicana* L., *Argyrea nervosa* (Burm. f.) Boj, *Arisitida histricula* Edgew., *Asparagus racemosus* Willd. *Asphodelus tenuifolius* Cav., *Astragalus prolixus* Sieb., *Azadirachta indica* A. Juss., *Balanites aegyptiaca* (L.) Del., *Bauhinia racemo.>a* Lam., *Bergia ammannioides* Roxb., *Bombax ceiba* L., *Borreria articularis* (L.f.) F.N.Will., *Brassica campestris* L. Var. *sarson* Prain, *Brassica juncea* (L.) Coss, *Brassica oleracea* Var. *capitata* L., *Brassica* sp., *Butea monosperma* (Lam.) *Combretum ovalifolium* Roxb., *Commelina albescens* Hassk., *Convolvulus auricomus* Var. *auricomus* Bhandari, *Crotalaria orixensis* Willd., *Croton bonplandianum* Baill., *Cycas* sp., *Cymbopogon citratus* (DC.), *Cymbopogon martinii* (Ronn.) Wats., *Dalechampia scandens* L., *Datura innoxia* Mill., *Euphorbia caducifolia* Haines, *Fimbristylis* sp., *Foeniculum vulgare* Mill., *Fumaria indica* (Haussk.) Pugsley, *Gardenia jasminoides* J. Ellis, *Indigofera linnaei* Ali, *Indigofera oblongifolia* Forsk., *Ipomoea aquatica* Forsk., *Ipomoea pes-caprae* (L.) Sw., *Ipomoea pes-tigridis* L., *Lagenaria vulgaris* Var. *amara*, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst., *Maerua oblongifolia* (Forsk.) A. Rich., *Mangifera indica* L., *Mirabilis jalapa* L., *Mollugo nudicaulis* Lam., *Momordica charantia* L., *Momordica dioica* Roxb., *Oldenlandia corymbosa* L., *Pavonia zeylanica* Cav., *Petalium murex* L., *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex Heyne, *Premna integrifolia* L., *Premna resinosa* Schau, *Rhynchosia minima* Var. *minima* (L.) DC., *Ricinus communis* L. *Tavaniiera cuneifolia* (Roth.), *Tectona grandis* L.f., *Typha angustata* Bory & Chaub, *Urginea indica* L., *Zinnia elegans* Will Rogers, *Zizyphus mauritiana* Lam. etc.

**AND WHEREAS**, the rare and endangered species of the Kachchh Bustard Sanctuary are *Convolvulus stocksii* Boiss, *Helichrysum cutchicum*, *Heliotropium bacciferum* Forsk., *Sara hardwickii*, *Vanellus gregarius*, *Hemiechinus collaris*, *Commiphora wightii* (Am. Bhandari), *Heliotropium rariflorum* Stocks, *Pavonia ceratocarpa* Mast, *Sida tiagii* Bhandari, *Ardeotis nigriceps*, *Syphoetides indica*, *Felis silvestris*, *Gazella bennettii* etc. are the endemic species found in the region.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kachchh Bustard Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 km to 36.70 km around the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary in the State of Gujarat as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent of **zero km to 36.70 km** around the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone **219.78 sq. km.**
- (2) The Boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- I A-B.**
- (3) Map of Eco-sensitive zone of Kachchh Bustard Sanctuary along with geo-coordinates, land use pattern, satellite image and location maps are appended as **Annexure- II A-C.**
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary is appended as Table A & B of **Annexure-III.**
- (5) The list of villages falling in proposed Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IV.** The villages of ESZ area are mainly with less population. The main source of employment is farming, animal husbandry, casual labour work in farms, labour in salt industry and mining, Charcoal making, handicrafts etc. All villages have basic infrastructure like school, electricity, drinking water, motor able roads etc. But to facilitate people yet more to be done. Almost all villages have primary education facility in the village. For secondary and Higher Education people have to go at Taluka district level. The main source of economy is farming, animal husbandry, casual labour work in farms, labour in salt industry and mining, Charcoal making, handicrafts etc.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:
  - a) Environment;
  - b) Forest and Wildlife;
  - c) Agriculture;
  - d) Revenue;
  - e) Urban Development;
  - f) Tourism;
  - g) Rural Development;
  - h) Irrigation and Flood Control;
  - i) Municipal ;
  - j) Panchayati Raj;
  - k) Public Works Department.
4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
  7. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
  8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
  9. The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
  10. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use. –**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
  - (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
    - i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
    - ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
    - iii. Small scale industries not causing pollution;
    - iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
    - v. Promoted activities and given under para 4.
  - (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
  - (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
  - (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
  - (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. -** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.



**(3) Tourism/ Eco-tourism.-**

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
    - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
    - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. -** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;
  - (b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (c) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

- (d) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
- (c) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** –
- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of firewood	Prohibited (For hotels and other business related establishment).
9.	Use of renewable energy source- Wind Mill	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

		<p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Conversion of Govt. waste land to agriculture land.	Regulated under applicable law.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.

26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
32.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels other than wind mill.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
39.	solar energy.	Shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
44.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
45.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

### 5. Monitoring Committee.-

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | Collector, Kachchh-Bhuj  | --Chairman         |
| 2. | Ecologist/ Scientist, Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj        | --Member           |
| 3. | Official of Panchayat :<br>Block Development Officer of Concern block. | --Member           |
| 4. | Official of Revenue Department :<br>Mamlatdar of Concern block.        | --Member           |
| 5. | Official of Geology Department :<br>Geologist, Bhuj                    | --Member           |
| 6. | Assistant Conservator of Forests, Kachchh West Division, Bhuj          | --Member           |
| 7. | Range Forest Officers of Concern Ranges                                | --Member           |
| 8. | Deputy Conservator of Forests, Kachchh West Division, Bhuj             | --Member Secretary |

**6. Terms of Reference. –**

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No 25/43/2017 ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**ANNEXURE I A – B****A. EXTEND OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR KACHCHH BUSTARD SANCTUARY**

Extent of ESZ in different directions (kilometres)	<i>North</i>	<i>0.0 Km</i>
	<i>North- East</i>	<i>31.30 Km</i>
	<i>East</i>	<i>36.70 Km.</i>
	<i>South-East</i>	<i>34.00 Km.</i>
	<i>South</i>	<i>5.70 Km.</i>
	<i>South-West</i>	<i>1.90 Km.</i>
	<i>West</i>	<i>0.0</i>
	<i>North-West</i>	<i>0.0 Km.</i>

In the Jakhau village ESZ distance has been kept 'zero' meter from the boundary of the sanctuary, since it was discussed and decided in the High Level Committee held on 02/05/2016.

**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE**

<b>Boundary Description of the ESZ Area</b>	
<i>North</i>	<i>Naliya, Chhadura, Ashapar, Gudthar, Sukhpar bara, Tera village Boundary.</i>
<i>North-East</i>	<i>Naliya, Dhrufi Moti, Dhrufi Nani village Boundary.</i>
<i>East</i>	<i>Berachiya, Mothala, Nundhatad, Halapar village boundary</i>
<i>South-East</i>	<i>Halapar, Vinjan village boundary.</i>
<i>South</i>	<i>VInjan, Nagor, Bhachunda, Sandhav, Kothara, Bhanada, Vadapadhar, Prajau, Sindhodi Moti, Varnori Budiya village boundary.</i>
<i>South-West</i>	<i>Arabian Sea.</i>
<i>West</i>	<i>Jakhau village boundary</i>
<i>North-West</i>	<i>Jakhau village boundary</i>

**SCHEDULE "A":**

**The boundaries of the proposed Eco-Sensitive Zone around Kachchh Bustard Sanctuary falls in two blocks, Block-1 and Block-2.**

**In the Block-1,** the boundary of the proposed Eco-Sensitive Zone starts in an "inverted V shape" point at Lat-Long N 23-14-32.57 and E 68-47-29.12 at the outer boundary of agriculture survey no.77 of the village Jasapar and goes in the South-East direction for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes North-East direction along the outer boundary of forest survey numbers 85 and 86 for a distance of 0.9 km approximately. At the end of this point it takes a South-East direction along the outer boundary of agriculture survey no.59 of the village Jasapar for a distance of 2.47 km approximately. After this it takes a South-East direction along the outer boundary of forest survey no.149 for a distance of 2.97 km approximately. At this point it takes an East direction along the outer boundary of forest survey no.550 adjoining village Prajau for a distance of 1.65 km approximately ending at Lat-Long N 23-11-23.91 and E 68-49-43.47. At this point it takes North-East direction along the forest survey no.304 of the village Vadapadhar for a distance of 2.80 km approximately. At this point it takes South-East direction along the outer boundary of forest Survey no.304 for a distance of 2.64 km approximately and ends at Lat-Long N 23-11-14.06 and E 68-52-27.93. At this point it takes West direction along the outer boundary forest survey no. 304 for a distance of 2.80 km approximately. After this it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.550 adjoining to village Prajau for a distance of 0.66 km approximately. At this point it takes West direction along the forest survey no.550 for a distance of 3.13 km approximately. At this point it takes slight South-West direction along the outer boundary of Vingaber and Lala villages for a distance of 5.44 km approximately. At this point it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.34,35 and 36 for a distance of 1.65 km approximately. After this it takes South-west direction along the forest survey no.37, 38 and 47 for a distance of 2.47 km approximately. At this point it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.50, 49 and 48 for a distance of 1.48 km approximately and ends at Lat-Long N 23-07-46.88 and E 68-44-49.16. After this it takes North-West direction along the forest survey numbers 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54 adjoining village Ranpur for a distance of 3.63 km approximately. At this point it takes North-West direction along the agriculture survey numbers 112, 111, 110 and 108 for a distance of 1.81 km approximately. At this point it takes North-East direction crossing the road and passing along the outer boundary of agriculture survey no. 57/1, 62, 63/1, 105, 106 for a distance of 1.48 km approximately. At this point it takes south-East direction along the agriculture survey numbers 106, 105, 104, 65 and 58 of the village Budiya for a distance of 0.82 km approximately. After this point, it takes slight North direction along the forest survey no 101, 1482 and 844 for a distance of 2.6 km approximately. At this point it takes East direction along the forest survey numbers 844, 1484 and 1485 for a distance of 2.22 km approximately. After this point it takes slight North-East direction along the outer boundary of forest survey numbers 89, 88, followed by agriculture survey numbers 17, 86, 85, 84, 21 and 22 for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes South-east direction along the agriculture survey no.22, 23, 24, 25, 15 of the village Budiya followed by agriculture survey numbers 16, 19, 20/1, 20/2, 25 then crosses the road and runs along the agriculture survey numbers 25, 26, 27, 213, 212, and 214 for a distance of 2.99 km approximately. At this point it takes slight North-West direction along the agriculture survey numbers 143, 175, 138, 139/2,139/1 and 141 of Kukadau village for a distance of 1.98 km approximately. At this point it takes West direction along the agriculture survey numbers 81, 73, 142, and 162/1 for a distance of 1km approximately. At this point it takes North-west direction along the agriculture survey numbers 162/1, 4, 5/3, 5/2, 6 and 8 for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes North-East direction along the agriculture survey no.s8, 12/2,12/3,14/1, 13, 15 16, 19, 30, 32/1, 36, and 51 for a distance of 2.14 km approximately. At this point it takes North-East direction along the agriculture survey numbers 51, 52, 56/1, 57,68/2, 68, 169 of village Kukadau followed by agriculture survey no.68 then crosses the road, and traces the outer boundary of agriculture survey no. 71 for a distance of 1.32 km

approximately. Then it takes North-East direction along the agriculture survey numbers 37/1, 75, 51, crosses the road followed by agriculture survey numbers 77 of the village Jasapar for a distance of 2.47 km approximately and touches the starting point of Block-1.

**In the Block-2, which starts on the North-East corner of Block-1,** it starts at the corner point of village boundary Sudadhro Nani near to agriculture survey no. 173 and goes along the village boundary between Naliya and Sudadhro Nani in the North direction for a distance of 2.64 km approximately. Then at this point it takes North direction along the village boundary between Naliya and Sudadhronani and finishing at the tri junction of Ashapar, Sudadhronani and Sudadhromotiat lat-long N 23-16-43 .75, E 68-50-59.36 for a distance of 3.30 km approximately. At this point it takes North direction along the village boundary between Sudadhromoti and Chhadura for a distance of 1.70 km approximately. Then it takes East direction along the village boundary between SudadhroMoti and Gudthar, followed by Sudadhromoti and Sukhpar Bara. Then it takes South direction along the village boundary between SudadhroMoti and Tera for a distance of 3.63 km approximately. Then it takes slight North-East direction of 1.81 km approximately along the village boundary between kalaTalav and Tera. Then it takes South-east direction along the boundary between Kala Talav and Tera for a distance of 2.47 km approximately. Then it takes North-East direction along the boundary between kala Talav, Tera and Kunathia for a distance of 1.98 km approximately. Then it takes North-east direction till the tri junction of villages Kunathia, DhrufiNani and Tera for a distance of 2km approximately. Then it takes North direction along boundary between DhrufiNani and Tera for a distance of 2.14 km approximately. Later it takes East direction along the village boundary of Tera, DhrufiNani and DhrufiMoti for a distance of 3.40km approximately and ends at lat-long N 23-16-25.36 and E 69-00-14.63. At this point it takes slight South-East direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 298, 287, 421/2, then crosses the road, followed by agriculture survey numbers 25/pt, 51, 63, crosses the road, 294 for a distance of 1.65 km approximately. Then it takes South-West direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 293, 365/1, then crosses the road for a distance of 1.81 km approximately. At this point it takes South-East direction along the agriculture survey numbers 286, 287, 359, 350,349,338, and ends at the North-East corner of agriculture survey no.98 of village Dhrufi Nani for a distance of 2.5 km approximately. Then it takes South direction along the village boundary between DhrufiNani and Bitta for a distance of 0.99 km approximately. Then it takes West direction along the boundary between Bitta and Dhrufi Nani and ends at the tri junction of villages DhrufiNani, Bitta, and Bitiyari for a distance of 1.32 km approximately. Then it takes South-East direction along the village boundary between Bitta, Bachunda and ends at the tri junction of villages Bitta, Bitiyari and Rava for a distance of 2.90 km approximately. Then it takes slight North-East direction along the village boundary between Rava and Bitta for a distance of 2.50 km approximately. Then it takes East direction along the village boundary between Bitta and Rava and ends at the cross junction of Bitta, Rava, Bavanipar and Berachiya. Then it takes slight South-East direction along the village boundary between Rava and Berachiya for a distance of 1.70 km approximately. Then it takes South direction along the village boundary between rava and Berachiya for a distance of 1.65 km approximately. Later it takes South-East direction along the village boundary of Rava and Mothala for a distance of 3.5 km approximately and ends at the Lat-Long N 23-11-34.52 and E 69-04-15.92. At this point it takes slight South-West direction along the boundary between Rava and Mothala followed by boundary between Gadhvalavada and Nundhtad and ends at the cross junction of four villages Gadhvalavada, Nundhtad, Hajapar and Miyani for a distance of 4.2 km approximately. At this point it takes West direction along the boundary of Gadhvalavada and Hajapar, and ends at tri junction of Gadhvalavada, Hajapar and DhanaVaraVada for a distance of 1.65 km approximately. At this point it takes slight South-West direction along the boundary Hajapar and DhanaVaraVada and ends at the tri junction of DhanaVaraVada, Hajapar and Vinjhan for a distance of 2.50 km approximately. Then it takes South-West direction along the boundary of DhanaVaraVada and Vinjhan for a distance of 2 km approximately and ends at Lat-Long N 23-07-26.90 E 69-01-40.01. Then it takes North West direction along the boundary of Vinjhan and DhanaVaraVada and ends at tri junction of DhanaVaraVada, Gadhvalavada and Vinjhan for a distance of 2.50 km approximately. At this point it takes slight North West direction along the village boundary, Gadhvalavada and Vinjhan, and ends at the tri junction of Vinjhan, Gadhvalavada and Sandhav for a distance of 2.47 km approximately. Then it takes slight North-East direction along the village boundary Sandhav and Gadhvalavada for a distance of 2.14 km approximately. Then it takes North-west direction along the boundary of Sandhav and GadhaValaVada for a distance of 1.15 km approximately. Then it takes North-East direction along the boundary Sandhav, GadhaValaVada and Nagor for a distance of 2.14 km approximately. Then it takes North direction along the village boundary, Gadhvalavada and Nagor and ends at the tri junction of Nagor, Gadhvalavada and Bitiyari for a distance of 2 km approximately. At this point it takes South-west direction along the village boundaries Bitiyari and Nagor and ends at tri junction of Bitiyari, Nagor and Sandhav Villages for a distance of 2.64 km approximately. Then it takes North-East direction along the village boundary between Sandhav, Bachunda and Bitiyari for a distance of 4.12 km approximately. Then it takes slight North- West direction along the boundary between Bitiyari and Bachunda for a distance of 2.64 km approximately. Then it takes slight North-west direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 345, 41, 40, 37, 36, 414, 34, 18, 291/2, 290/1 of village Bachunda and forest survey numbers 357 and ends at Lat-Long N 23-13-25-68 and E 68-58-38.04 for a distance of 3.5 km approximately. Then it takes West direction along the village boundary of Bachunda and Kunatiya and ends at the tri junction of Bachunda, Kunatiya and Kala Talav for a distance of 3.46 km approximately. Then it takes South direction along the boundary



between Kala Talav and Bachunda, then boundary between Khirasara and Bachunda , followed by boundary between Khirasar and Sandhav and ends at tri junction of Khirasara, Sandhav and Kothara for a distance of 6.6 km approximately. Then it takes slight South-West direction along the village between Khirasara and Khotara for a distance of 2.80 km approximately and ends at Lat-Long N 23-09-13.72 and E 68-56-00.38. Then it takes North direction along the village boundry between Kothara-Khirasara followed by boundary between Bhanada and Khirasara for a distance of 5.5 km approximately. Then it takes West direction along the outer boundary of forest survey numbers 387, 380, followed by agriculture survey numbers 80, forest survey no. 379 crosses the road, forest survey no.377, 347 crosses the road and agriculture survey no. 89, crosses the road, agriculture survey no.100, forest survyno.346, 345, crosses the road, forest survey no.341 and agriculture survey no. 18 of Bhandra Village for a distance of 3.50 km approximately. Then it takes North direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 22, 23, 24/2, 24/1, crosses the road , 328 and ends at boundary of Sudadhromoti for a distance of 3.50 km approximately touching the starting point of Block-2.


**SCHEDULE “B”:**

**Boundary Directions:**

- NORTH:** Village boundaries of Jakhau, Naliya, Chhadura, Ashapar, Gudthar, Sukhpar Bara, Tera, DhrufiMoti, DhrufiNani and Bitta.
- EAST:** Village boundaries of Bhavanipar, Berachiya, Mothala, Nundhtad
- SOUTH:** Village boundaries of Miyani, Hajapar, Vinjhan, Nagor, Bhachunda, Sandhav, Kothara, Bhanada, Vadapadhar, Prajau, SindhodiMoti and Varnori Budiya
- WEST:** Village boundaries of Jakhau and adjoining sea coast.


**ANNEXURE II-A**

**ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)  
ALONG WITH GEO-COORDINATES AND LAND USE PATTERN**



**ANNEXURE II-B**


**SETELLITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)**





**ANNEXURE II-C**

**LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)**



**ANNEXURE- III**

**LATITUDE – LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)**

**TABLE A: Geo-coordinates of Protected Area(As per attached Annexure-IIA)**

S No	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	19	-	23°10'46.400"N	68°43'52.270"E
2	20	-	23°11'23.230"N	68°43'50.770"E
3	21	-	23°11'2.450"N	68°44'27.200"E

**TABLE B: Geo-Coordinates of ESZ Boundary (As per attached Annexure-IIA)**

S No	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	-	23°14' 32.575" N	68° 47' 59.120" E
2	2	-	23°13' 57.717" N	68°48' 19.199" E
3	3	-	23°14' 13.235" N	68° 48' 46.659" E
4	4	-	23°12' 58.067" N	68° 49' 13.527" E
5	5	-	23°11' 23.907" N	68° 49' 43.469" E
6	6	-	23°11' 21.717" N	68° 50' 41.689" E
7	7	-	23°12' 33.907" N	68°51' 48.637" E
8	8	-	23°11' 14.061" N	68°52' 27.929" E
9	9	-	23°11' 12.502" N	68°50' 46.185" E
10	10	-	23°10' 51.514" N	68° 50' 46.536" E
11	11	-	23°10' 51.183" N	68°48' 54.077" E
12	12	-	23°10' 7.622" N	68°45' 45.900" E
13	13	-	23°9' 14.123" N	68°45' 57.764" E
14	14	-	23°8' 35.146" N	68°44' 50.092" E
15	15	-	23°7' 46.884" N	68°44' 49.158" E
16	16	-	23°9' 36.373" N	68° 43' 55.796" E
17	17	-	23°10' 4.586" N	68°42' 56.636" E
18	18	-	23°10' 42.160" N	68°43' 24.686" E
19	19	-	23°10' 26.381" N	68°43' 52.566" E
20	20	-	23°11' 22.529" N	68°43' 50.777" E
21	21	-	23°11' 0.510" N	68°44' 28.219" E
22	22	-	23°11' 21.957" N	68°45' 7.146" E
23	23	-	23°11' 15.233" N	68°45' 33.866" E
24	24	-	23°11' 44.974" N	68°45' 53.938" E
25	25	-	23°12' 46.361" N	68°45' 39.926" E
26	26	-	23°12' 35.607" N	68°45' 15.171" E
27	27	-	23°13' 3.142" N	68°44' 58.703" E
28	28	-	23°13' 46.909" N	68°45' 59.551" E
29	29	-	23°14' 5.618" N	68°46' 39.451" E
30	30	-	23°12' 59.452" N	68°51' 48.338" E
31	31	-	23°14' 16.412" N	68°51' 25.943" E
32	32	-	23°15' 54.597" N	68°51' 9.954" E
33	33	-	23°16' 43.753" N	68°50' 59.362" E
34	34	-	23°17' 1.411" N	68°52' 51.153" E
35	35	-	23°17' 1.595" N	68°54' 25.939" E
36	36	-	23°15' 6.012" N	68°54' 56.130" E
37	37	-	23°15' 15.483" N	68°56' 0.000" E
38	38	-	23°14' 15.876" N	68°56' 40.212" E
39	39	-	23°14' 55.135" N	68° 57' 39.503" E
40	40	-	23°15' 30.662" N	68°58' 39.209" E
41	41	-	23°16' 40.153" N	68°58' 20.771" E
42	42	-	23°16' 25.361" N	69° 0' 14.635" E
43	43	-	23°15' 40.244" N	69°0' 25.889" E
44	44	-	23°15' 1.087" N	68°59' 40.684" E
45	45	-	23°14' 44.027" N	69°1' 4.332" E
46	46	-	23°14' 13.645" N	69°1' 13.716" E
47	47	-	23°14' 6.881" N	69°0' 35.490" E
48	48	-	23°12' 54.832" N	69° 1' 29.697" E
49	49	-	23°14' 22.508" N	69°1' 56.736" E
50	50	-	23°14' 19.582" N	69°2' 30.449" E

51	51	-	23°13' 30.690" N	69°2' 46.492" E
52	52	-	23°12' 31.931" N	69°2' 53.259" E
53	53	-	23°11' 34.517" N	69°4' 15.919" E
54	54	-	23°9' 20.545" N	69°3' 38.310" E
55	55	-	23°9' 15.702" N	69°2' 47.104" E
56	56	-	23°7' 58.812" N	69°2' 36.654" E
57	57	-	23°7' 26.897" N	69°1' 40.006" E
58	58	-	23°8' 12.395" N	69°0' 45.001" E
59	59	-	23°8' 29.851" N	68°58' 54.151" E
60	60	-	23°8' 57.782" N	69°0' 1.525" E
61	61	-	23°9' 20.518" N	68°59' 41.047" E
62	62	-	23°9' 59.707" N	69°0' 31.383" E
63	63	-	23°10' 59.189" N	69° 0' 28.130" E
64	64	-	23°10' 17.924" N	68°59' 20.157" E
65	65	-	23°11' 58.141" N	69° 0' 44.911" E
66	66	-	23°13' 8.812" N	69° 0' 28.519" E
67	67	-	23°13' 25.680" N	68°58' 38.944" E
68	68	-	23°13' 15.870" N	68°56' 37.927" E
69	69	-	23°9' 44.471" N	68°57' 21.467" E
70	70	-	23°9' 13.725" N	68°56' 0.376" E
71	71	-	23°12' 9.237" N	68°55' 52.152" E
72	72	-	23°12' 1.851" N	68°53' 16.086" E
73	73	-	23°13' 22.128" N	68°53' 8.478" E

**ANNEXURE-IV**

**LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY  
(GREAT INDIAN BUSTARD) & GEO CORDINATES**

Sr.No.	Name of village	Taluka	District	Forest Area Ha.	Non Forest Area Ha.	Total Area of ESZ Ha.
1	Bhachunda	Abdasa	Kachchh	20.000	373.000	393.000
2	Bhanada	Abdasa	Kachchh	956.278	0.000	956.278
3	Bitiyari	Abdasa	Kachchh	0.000	933.740	933.740
4	Budiya	Abdasa	Kachchh	184.160	417.479	601.639
5	Dhanavada	Abdasa	Kachchh	0.000	1399.089	1399.089
6	Dhufi Nani	Abdasa	Kachchh	270.000	0.000	270.000
7	Hamirpar	Abdasa	Kachchh	0.000	636.693	636.693
8	Gadhavada	Abdasa	Kachchh	310.340	1140.149	1450.489
9	Jasapar	Abdasa	Kachchh	0.000	746.953	746.953
10	Kalatalav	Abdasa	Kachchh	0.000	1146.046	1146.046
11	Khirasara(Khothara)	Abdasa	Kachchh	0.000	1414.670	1414.670
12	Kukdav	Abdasa	Kachchh	0.000	932.492	932.492
13	Konathiya	Abdasa	Kachchh	236.890	781.729	1018.619
14	Lala	Abdasa	Kachchh	0.000	1029.823	1029.823
15	Prajau	Abdasa	Kachchh	211.840	0.000	211.840
16	Rava	Abdasa	Kachchh	0.000	1974.067	1974.067

17	Sudadhro Moti	Abdasa	Kachchh	18.820	2978.551	2997.371
18	Sudadhro Nani	Abdasa	Kachchh	0.000	806.846	806.846
19	Vadapadhar	Abdasa	Kachchh	666.320	0.000	666.320
20	Vingaber	Abdasa	Kachchh	340.340	1262.663	1603.003
21	Ranpar	Abdasa	Kachchh	674.640	113.360	788.000
<b>Total Area in Ha.</b>				<b>3889.627</b>	<b>18087.350</b>	<b>21976.977</b>

**ANNEXURE-V****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance: